RB/Estt. No. 70/2009

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2008/PM1/15 **dt.24.04.2009**

The General Managers(P)
All Indian Railways &
Production Units
(As per standard list)

Sub: Implementation of recommendations of 6th CPC- merger of grades-promotion within the same grade pay-Clarification regarding.

In continuation of this Ministry's letter of even number dt.23.09.2008, it is clarified that in cases where two or more existing scales of pay 'A' and 'B' or 'A', 'B' and 'C' have been merged into a single grade pay 'X' or where an existing scale say 'A' has been upgraded to allot the grade pay, which has been allotted to existing next higher grade say 'B' in the hierarchy, in such cases selections and promotion from the existing lower scale to the existing higher scale(s), should not be made. Promotions from existing lower scales to the existing scale 'A' should likewise cease. Further in such cases, action on selections etc. already in process should be stayed and the panels/suitability lists already existing should also not be operated.

2. **Where merger of scales is not involved and a grade in the existing scale has been replaced by grade pay, promotions may continue to be made in accordance with the existing classification.**

3. However, this will not apply to the cases of promotion of running categories viz. Loco Pilots and Guards, wherein the existing channel of promotion will continue till further orders. It is also clarified that the promotion to the post of Technicians/MCM/Sr. Supervisors(P. Way) etc. which have also been allotted the grade pay Rs.4200 should not be treated as merged with JE-II/JE-I and promotion to the post of technicians in Grade Pay Rs.4200 may continue to be made as per existing classification. However, promotion from Technicians/MCM/Sr. Supervisor(P. Way) etc. to the posts of JE-II/JE-I, which have also been allotted Grade Pay Rs.4200, should not be made.

Please acknowledge receipt.

Hindi version will follow.

(D. V. Rao)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

आरबी/स्था. सं. 70/2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2008/पीएम 1/15 **नई दिल्ली, दिनांक:24.04.2009**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना - ग्रेडों का समाहन- समान ग्रेड वेतन के भीतर पदोन्नति के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस मंत्रालय के 23.09.2008 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, यह स्पष्ट किया जाता है कि उन मामलों में, जहां दो या अधिक मौजूदा वेतनमानों 'ए' और 'बी' अथवा 'ए', 'बी' और 'सी' को एकल ग्रेड वेतन 'एक्स' में समाहित कर दिया गया है अथवा जहां एक मौजूदा वेतनमान 'ए' को अपग्रेड करते हुए वह ग्रेड पे आबंटित की गई है जो कि उस पदोन्नति सोपान में अगले मौजूदा उच्चतर ग्रेड 'बी' को आबंटित की गई है, ऐसे मामले में मौजूदा निचले वेतनमान से मौजूदा उच्चतर वेतनमान (नों) में प्रवरण और पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार मौजूदा निचले वेतनमानों से मौजूदा वेतनमान 'ए' में पदोन्नतियां बंद हो जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन मामलों में, पहले ही प्रक्रियाबद्ध प्रवरणों आदि पर कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए और पहले से मौजूद पैनलों/उपयुक्तता सूचियों को भी परिचालित नहीं किया जाना चाहिए।

2. जहां वेतनमानों का समाहन शामिल नहीं है और मौजूदा वेतनमान में किसी ग्रेड को ग्रेड पे से प्रतिस्थापित किया गया है, वहां मौजूदा वर्गीकरण के अनुसार पदोन्नतियां किया जाना जारी रखा जाए।

3. बहरहाल, यह चल कोटियों अर्थात् लोको पायलटों और गार्डों की पदोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां पर पदोन्नति का मौजूदा चैनल अगले आदेशों तक जारी रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तकनीशियनों/एमसीएम/वरिष्ठ पर्यवेक्षकों (रेलपथ) आदि, जिन्हें भी 4200/- रुपए ग्रेड पे आबंटित की गई है, को जे.ई-II/जे.ई-I के साथ समाहित नहीं समझा जाना चाहिए और 4200/- रुपए की ग्रेड पे में तकनीशियनों के पद पर पदोन्नति मौजूदा वर्गीकरण के अनुसार की जानी जारी रहेगी। बहरहाल, तकनीशियनों/एमसीएम/वरिष्ठ पर्यवेक्षक (रेलपथ) आदि से

....2/-

जे.ई-II/जे.ई-I, जिन्हें भी 4200/- रुपए ग्रेड पे आबंटित की गई है, के पदों पर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए।

कृपया पावती दें।

(डी.वी. राव)
संयुक्त निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I-2008/पीएम 1/15 नई दिल्ली, दिनांक:24.04.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा सं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इंप्लाईज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेलवे भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड।
14. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

ESST-E (NG) I